तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0 21/2017 सरकार तहसीलदार वैर बनाम रामरती
21.02.2018	आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित । अवलोकन किया गया। यह रेफरेन्स पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 22.09.2017 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.09.2017 की मंशा के अनुसार प्रकरणों में मौका जांच कर यह निष्कर्ष निकालना है कि आवंटन से क्या नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है ? इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 D.N.J. 2004(3) (Raj.) Page 1245 (Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & Ors.) तथा स्पेशल अपील याचिका संख्या 850/15 शीर्षक रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 R.R.T. 2016 (1) (H.C.) Page 718 (Ramkaran Vs State of Rajasthan) को मध्यनजर रखकर मौका स्थिति की पूर्ण जांच कर अगर आवश्यक हो तो रैफरेंस भिजवाये । इस संबंध में आपको मण्डल के निर्णय की छाया प्रति भिजवाते हयु क्रमांक पत्रांक 875 दिनांक 13.10.2017 से भी ताकीद की जा चुकी है। किन्तु आप द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। अतः भूमिधारी तहसीलदार वैर को मण्डल के निर्णय दिनांक 22.09.2017 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official